MS - 2017 /00093

राजस्थान-सरकार

नं.रजि.

Form no 111

फर्द अहकाम

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

उनवान– रामकुमार बनाम शिवतेज सिंह आदि

धारा – 53,88 आर.टी.ए. राजस्व वाद संख्या– 392 / 2019

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय आनीशत्ता जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
.1.2019	अभिभाषक वादी द्वारा वाद–पत्र पेश किया गया। सरिश्ता रिपोर्ट हो चुकी है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक व साधारण नोटिस द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 9.1.2020 को पेश हो।	
11-12-19	वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रतिवादी की ओर से श्री बनवारीलाल पारिक वकील द्वारा वकालतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष स्वयं उपस्थित राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष को सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन बाद वादी पोषणीय पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (कपिल यादव)	

2

(राजस्व वाद संख्या — 392/2019 अनवान राजकुमार बनाम शिवतेज)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— कपिल यादव आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :— 392/2019

1 राजकुमार पुत्र श्री शिवतेज जाति यादव निवासी गली नम्बर 14 नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़। — — वादी

—:: बनाम ::—

1 शिवतेज पुत्र श्री मातादीन जाति यादव निवासी गली नम्बर 14 नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 तेजेन्द्र पुत्र श्री शिवतेज जाति यादव निवासी गली नम्बर 14 नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। — — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1.	श्री प्रदीप पारिक अधिवक्ता	वादी
2.	श्री बनवारीलाल पारिक अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3.	राज पैराकार	प्रतिवादी संख्या 3

—:: निर्णय ::— दिनांक :— 11-12-19

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि मुझ वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है। वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु परिवार के सदस्य है, वादी के दादा मातादीन से भूमि विरासतन एवम् कुछ विरासतन भूमि की आय से अर्जित की हुई है जो निम्न प्रकार से है :—

(क) चक 14 एच.एम.एच. के खाता संख्या 154/128 पत्थर नम्बर 139/280 (30) किला नम्बर 1 ता 12, 19, 20 कुल 3.542 हैक्टर तथा चक 14 एच.एम.एच. के खाता संख्या 155/130 पत्थर नम्बर 139/281 (39) किला नम्बर 25 व पत्थर नम्बर 139/181 (37) किला नम्बर 2 कुल 0.506 हैक्टर में से 0.312 हैक्टर भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज रिकार्ड खातेदारी है जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है।

प्रतिवादी संख्या 1 की उपरोक्त भूमि में से नीचे वर्णित भूमि वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 नें आज से काफी अर्सा पूर्व आपसी घराघरू बंटवारा कर लिया व इसी बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है वादी को घरा घरू बंटवारे में निम्न कृषि भूमि प्राप्त हुई है :—

(क) वादी संख्या 1 राजकुमार :— चक 14 एच.एम.एच. के खाता संख्या 154/128 पत्थर नम्बर 139/280 (30) किला नम्बर 1 ता 7 कुल 1.771 हैक्टर।

(ख) प्रतिवादी संख्या 2 तेजेन्द्र कुमार :— चक 14 एच.एम.एच. के खाता संख्या 154/128 पत्थर नम्बर 139/280 (30) किला नम्बर 7 ता 12, 19, 20 कुल 1.771 हैक्टर।

(ग) प्रतिवादी संख्या 1 शिवतेज :— चक 14 एच.एम.एच. के खाता संख्या 155/281 (39) किला नम्बर 25 व पत्थर नम्बर 139/181 (37) किला नम्बर 2 कुल 0.506 हैक्टर में से 0.312 हैक्टर।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 3

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण को घरू बंटवारा में उपरोक्त कृषि भूमि प्राप्त हुई है व घरा घरू बंटवारा से ही वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 उपरोक्तानुसार भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।

वादी नें अपनें हिस्सा मे आई कृषि भूमि को मिट्टी उठाकर कराहा लगाकर समतल किया है, व अच्छी खद व उर्वरक डालकर उपजाउ बनाया हैजब वादी नें बंटवारे में अपनें हिस्सा में आई भूमि घरा घरू बंटवारा व कब्जा अनुसार नाम लगवानें के लिये प्रतिवादी संख्या 1 को कहा तो पहले तो वे टाल मटोल करते रहे और आखिर दिनांक 15.11.2019 को इनकार हो गये यही वाद कारण है।

वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है, अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

1 वाद पत्र के पैरा संख्या 4 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व वादी के नाम से रकम राज अलग कायम किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

2 अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी को दिलवाना उचित समझे दिलवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 11.12.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है, तथा आपस में भाईचारा बनाये रखनें के लिये उक्त अनवान के प्रकरण में पंच पंयायती में बैठकर व लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है।

वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 14 एच.एम.एच. के खाता संख्या 154/128 पत्थर नम्बर 139/280 (30) किला नम्बर 1 ता 12, 19, 20 कुल 3.542 हैक्टर तथा इस चक 14 एच.एम.एच. के खाता संख्या 155/130 पत्थर नम्बर 139/281 (39) किला नम्बर 25 व पत्थर नम्बर 139/181 (37) किला नम्बर 2 कुल 0.506 हैक्टर में से 0.312 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 का 0.312 हैक्टर भूमि दर्ज रिकार्ड कागजात है।

उक्त भूमि का वादी व प्रतिवादीगण नें आज से काफी अर्सा पूर्व आपसी घराघरू बंटवारा कर लिया है व इसी बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है वादी को चक नम्बर 14 एस.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 154/128 के पत्थर नम्बर 139/280 (39) किला नम्बर 1 ता 7 की कुल 1. 771 हैक्टर एवम् प्रतिवादी संख्या 2 को चक नम्बर 14 एस.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 154/128 के पत्थर नम्बर 139/280 (39) किला नम्बर 8 ता 12, 19, 20 की कुल 1.771 हैक्टर एवम् प्रतिवादी संख्या 1 को चक नम्बर 14 एस.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 155/130 के पत्थर नम्बर 139/281 (39) किला नम्बर 25

कलेक्टर
उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

लगातार 3

Scanned by CamScanner

एवम् पत्थर नम्बर 139/281 (37) किला नम्बर 2 कुल 0.506 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 का 0.312 हैक्टर भूमि गैर मुमकिन सहित का बंटवारा कर लिया है एवम् इस प्रकार वादीगण एवम् प्रतिवादीगण को घरू बंटवारा में उपरोक्त कृषि भूमि प्राप्त हुई व बंटवारा से ही वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है इस प्रकार वादी व प्रतिवदीगण नें राजीनामा अनुसार उपरोक्त प्रकार से बंटवारा में आई कृषि भूमि पर उक्तानुसार काबिज हो चुके है।

वादी एवम् प्रतिवादीगण राजीनामा अनुसार अपना दावा डिक्री करवाना चाहते है। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण राजीनामा अनुसार अपनें हिस्से में आई भूमियों का खाता व रकम राज उपरोक्त राजीनामा अनुसार अलग करवाना चाहते है व इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी व प्रतिवादीगण के नाम से इन्तकाल दर्ज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 4 की और से राज पैराकार द्वारा जवाब स्टेट प्रस्तुत न करते हुए कथन किया कि वाद पिता पुत्र के मध्य है, राज्य सरकार से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, अतः राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वाद वादी डिक्री किया जाता है, तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से बहस सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दौरानें बहस राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली का

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

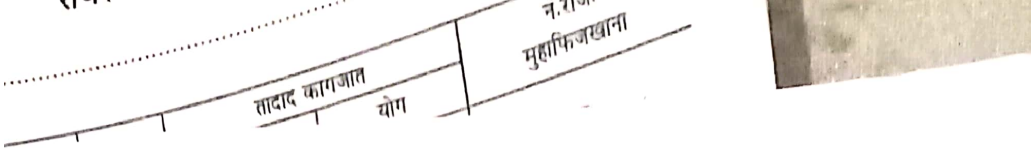

तादाद कागजात | योग | मुहाफिजखाना

5

(राजस्व वाद संख्या :– 392/2019 अनवान राजकुमार बनाम शिवतेज)

अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादाधीन भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार के कारण वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 2 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 शिवतेज सिंह के नाम चक 14 एच.एम.एच. के खाता संख्या 154/128 पत्थर नम्बर 139/280 (30) किला नम्बर 1 ता 12, 19, 20 कुल 3.542 हैक्टर भूमि में शिवतेजसिंह का नाम विलोपित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वादी संख्या 1 राजकुमार को 1.771 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 2 तेजेन्द्र कुमार को 1.771 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1 वादी संख्या 1 राजकुमार पुत्र श्री शिवतेज जाति यादव निवासी गली नम्बर 14 नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
14 एच.एम.एच.	154/128	139/280 (30)	1 ता 7	1.771 हैक्टर

2 प्रतिवादी संख्या 2 तेजेन्द्र कुमार पुत्र श्री शिवतेज जाति यादव निवासी गली नम्बर 14 नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
14 एच.एम.एच.	154/128	139/280 (30)	8 ता 12, 19, 20	1.771 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनाक 11-12-19 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 392/2019

1 राजकुमार पुत्र श्री शिवतेज जाति यादव निवासी गली नम्बर 14 नई आवादी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 शिवतेज पुत्र श्री मातादीन जाति यादव निवासी गली नम्बर 14 नई आवादी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 तेजेन्द्र पुत्र श्री शिवतेज जाति यादव निवासी गली नम्बर 14 नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3 राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 11-12-19

वादी की और से श्री प्रदीप पारिक अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से श्री बनवारीलाल पारिक अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 3 की और से राज पैराकार इस वाद में आज दिनांक 11-12-19 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 शिवतेज सिंह के नाम चक 14 एच.एम.एच. के खाता संख्या 154/128 पत्थर नम्बर 139/280 (30) किला नम्बर 1 ता 12, 19, 20 कुल 3.542 हैक्टर भूमि में शिवतेजसिंह का नाम विलोपित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत वादी संख्या 1 राजकुमार को 1.771 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 2 तेजेन्द्र कुमार को 1.771 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1 वादी संख्या 1 राजकुमार पुत्र श्री शिवतेज जाति यादव निवासी गली नम्बर 14 नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
14 एच.एम.एच.	154/128	139/280 (30)	1 ता 7	1.771 हैक्टर

2 प्रतिवादी संख्या 2 तेजेन्द्र कुमार पुत्र श्री शिवतेज जाति यादव निवासी गली नम्बर 14 नई आबादी हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
14 एच.एम.एच.	154/128	139/280 (30)	8 ता 12, 19, 20	1.771 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 11-12-19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
..... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.01.02 13:50:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: